

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 10 अगस्त, 2005/श्रावण 19,1927 (शक)

संख्या- 108

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त पुलिस, मध्य जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री जगदीश मुखी, श्री पूरन चन्द योगी, श्री साहब सिंह चौहान, और डॉ. हर्षवर्द्धन, को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 09.8.2005 को अप. 1.40 बजे, डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम, नई दिल्ली के सामने प्रथम बैरिकेड्स से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 2.15 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 10th August, 2005/19 Shrawana 1927 (Saka)

No. 108

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, Central Distt. Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Jagdish Mukhi, Shri Puran Chand Yogi, Shri Sahib Singh Chauhan and Dr. Harshvardhan, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at First Barricades in front of Dr. Ambedkar Stadium, New Delhi at 1.40 PM. on 09.08.2005.

They were released at 2.15 PM from the same place on the same date."